पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना(नागौर)

24/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी (तहसीलदार) उपस्थित। प्रार्थी ने सर्व आदेश 10/11/22 की पालना अंतिम मौका देने के उपरांत भी नहीं की गई है। वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रकरण लम्बित हो रहा है अतः प्रकरण को तितरीके किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया प्रार्थी की प्रार्थी द्वारा वाद (प्रार्थना-पत्र) में अप्रार्थीगण को का.मु. की पैरवी नहीं की जा रही है जिससे वाद लम्बित हो रहा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र (1) 21 Rule 1 का Order 2 CPC में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाप्ता कार्यवाही की नंबर के बाद होकर में दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना(नागौर)